



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

KRR
cc: ED, OCE
cc: D(O)
cc: Ad. Dir(F)

12.20

सं. 21]
No. 21]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2001/भाग 4, 1922
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2001/MAGHA 4, 1922

विद्युत मंत्रालय
संकल्प

cc: DCT
cc: D(Planning)

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2001
तेल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र

क्र. सं. एचएच- 32/97-आईपीसी-1(खंड-VI). — भारत सरकार द्वारा शोध-संयोजक अधिनियम की दृष्टि से अक्टूबर, 1991 में
बिजली अधिनियम 1948 के अंतर्गत बिजली अधिनियम 1999 में संशोधन के द्वारा दिनांक 11-09-95 के संकल्प सं. ए-27/99-आईपीसी (खंड-2) के तहत बिजली क्षेत्र
को रेगुलेशन अधिनियम 1999 को और हैवी पेट्रोलियम स्टॉक (एचपीएस), लो-सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस), हेवी फरनेस ऑइल (एचएफओ)
तथा प्राकृतिक गैस, जहां उपलब्ध हो, जैसे भारी ईंधन को प्रयुक्त ईंधन के रूप में उपयोग करते डीजल इंजन जेनरेटिंग यूनिटों की स्थापना करने
की अनुमति देने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 14 मई, 1996 के संकल्प सं. सी-355/95-आईपीसी-1 और दिनांक 15 मई, 1998 के संकल्प
एचएच 32/97-आईपीसी-1 के तहत कुछ अन्य ईंधनों नामशः पेट्रोलियम कोक, वैक्यूम अपशिष्ट, कैंडिरोट तथा ऑरीगलेशन को भी विद्युत
उत्पादन हेतु प्रयुक्त ईंधन की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 15-10-1998 के संकल्प के खंड-1.1(ii) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर
आईपीसी डीजल (एचएचडी) उपयोग की अनुमति नहीं प्रदान की गई।

2. सरकार ने विद्युत उत्पादन हेतु अन्य तेल ईंधनों के उपयोग संबंधी नीति की समीक्षा की है और यह निर्णय लिया है कि विद्युत
उत्पादन के लिए देश में उत्पादित लाईफोस्ट डीजल (एचएचडी) की अनुमति दी जाएगी। विद्युत उत्पादन के लिए लाईफोस्ट डीजल का उपयोग
करने वाले विद्युत उत्पादक कंपनियों - अपनी एचएचडी आवश्यकता को प्राथमिक तेल कंपनियों से प्राप्त में तब लेना शर्तों पर तेल पूल वॉरिंजी
की शीघ्रता वापस प्राप्त कर सकेंगी। जब तक प्रस्तावित पूना विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य समाप्त नहीं है, एचएचडी की प्राप्ति करने वाले तेल कंपनियों तथा विद्युत
उत्पादकों के बीच समझौते के तहत की ऑइल कोऑर्डिनेशन कमेटी (ओसीसी) के पास प्राथमिकता राखी जाएगी। एचएचडी का उपयोग करने
वाले विद्युत उत्पादकों को प्राथमिकता प्राप्त विद्युत उत्पादन अधिक के आवधिक विद्युत आगत को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव करने लगे। इस
प्रस्ताव को एचएचडी के आगत, प्रत्येक मासिक या मासिक आधार पर तभी विचार किया जाएगा जब प्रयुक्त एचएचडी की उपलब्धता में कमी हो।

3. विद्युत उत्पादन के लिए भारत विद्युत निगम लि. (एचएचडी) के तहत प्रयुक्त लाईफोस्ट डीजल (एचएचडी) का उपयोग की अनुमति देने का भी
निर्णय किया गया है।

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 19th January, 2001

Liquid Fuel Based Power Plants

F. No. FU-32/97-IPC.I(Vol. VI).—In pursuance of the private power policy launched by the Government of India in October, 1991 and with a view to ensuring a quick capacity addition, the Government had announced vide Resolution No. A-27/94-IPC (Vol. II) dated 6-11-1995, the decision to permit private sector units to set up diesel engine generating (DG) units of reciprocating type and using heavy fuel oils such as Heavy Petroleum Stock (HPS), Low Sulphur Heavy Stock (LSHS), Heavy Furnace Oil (HFO) and Natural Gas, wherever available, as primary fuel. Subsequently, vide Resolution No. C-355/95-IPC I dated 14th May, 1996 and No. FU-32/97-IPC, I dated 15th October, 1998, the use of some other fuels namely, petroleum coke, vacuum residue, condensate and orimulsion, as primary fuel for power generation was also permitted. The use of High Speed Diesel (HSD) was not permitted except in special cases fulfilling the criteria mentioned in clause 1.1 (ii) of the resolution dated 15-10-1998.

2. Government has reviewed the policy on use of other liquid fuels for power generation and accordingly, it has been decided that indigenously produced High Speed Diesel (HSD) will be allowed as fuel for power generation. The power producers using HSD for power generation could source their requirement of HSD from the oil company(ies) authorised to market HSD, at mutually agreed terms and conditions, at a price outside the oil pool mechanism. Commercial agreement entered into between the oil company supplying HSD and power producer would be registered with Oil Coordination Committee (OCC) as long as Administered Price Mechanism regime continues. A power project using HSD may be required to submit periodical statements indicating HSD purchased, consumed, power generated etc. to the Oil Coordination Committee. Import of HSD for this purpose will be considered on a case by case basis only if there is a shortfall in the availability of domestic HSD.

3. It has also been decided to permit the use of domestic distillate oil 2 and domestic light diesel oil (LDO) for power generation on the same lines as domestic HSD.

A.K. BASU, Secy